श्री राजेश कुमार, भा०प्र०से०, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा दिनांक-08.11.2025 को आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा का किये गये निरीक्षण से संबंधित निरीक्षण टिप्पणीः-

परिचय :- कोशी प्रमंडल, सहरसा की स्थापना 02 अक्टुबर 1972 ई. में की गई थी, कोशी प्रमंडल, बिहार राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। इसका मुख्यालय सहरसा में हैं, इस प्रमंडल का नाम मुख्य रूप से कोशी नदी के नाम पर रखा गया है, जो इस क्षेत्र की जीवनरेखा मानी जाती है। कोशी प्रमंडल, बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में आता है, इस प्रमंडल के उत्तर में नेपाल की सीमा, दक्षिण में बागमती नदी, पश्चिम में कोशी नदी एवं पूर्व में सुरसर नदी अवस्थित है। इस क्षेत्र की भूमि अत्यंत उपजाऊ है। धान, मक्का, गेहूँ, जूट, मूंग, अरहर, सब्जियाँ एवं मखाना इस प्रमंडल की मुख्य फसलें है, मखाना उत्पादन में यह क्षेत्र पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि आधारित है, परन्तु धीरे-धीरे औद्योगिक विकास की दिशा में भी प्रयास हो रहे है, इस प्रमंडल के अन्तर्गत के जिलें जैसें सुपौल में जूट उद्योग एवं सहरसा में धान मिल प्रचलित है। पशुपालन एवं मत्स्य पालन भी यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यहाँ के लोग मुख्यतः मिथिलांचल की परंपरा से जुड़ा हुआ है, यहाँ छठ पर्व, चौठ-चन्द्र, मधुश्रावणी, कोजगरा, सामा-चकेवा, नाग-पंचमी, जूड़-शीतल, भातृ द्वितीया, होली एवं दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। लोकगीत और लोकनृत्य जैसे झूमर, डोमकच, झिझिया और सामा-चकेवा यहाँ की पहचान है। मैथिली साहित्य के कई विद्वान इस क्षेत्र से रहे है। प्राचीन काल में यह क्षेत्र मिथिला जनपद का हिस्सा रहा है, स्वतंत्रता संग्राम में कोशी क्षेत्र के कई वीरों ने अपना योगदान दिया है। कोशी नदी के तटवर्ती इलाके में समय-समय पर बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई परियोजनाएँ चलाई गई, जिनमें कोशी परियोजना प्रसिद्ध है, जिसका उद्येश्य कोशी नदी की विनाशकारी बाढ़ से लोगों की रक्षा करना एवं सिंचाई सुविधा प्रदान करना था, इसमें भूतही बलान, पश्चिमी कोशी नहर एवं बराह क्षेत्र बाँध (नेपाल में) शामिल है, इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई एवं क्षेत्र में नई आर्थिक संभावनाएँ बनीं। इस प्रमंडल के प्रमुख स्थान एवं दर्शनीय स्थलों में सहरसा जिला के लौकही झील, बाबा कारू खिरहरी, माँ उग्रतारा शक्तिपीठ मंदिर महिषी, कन्दाहा का सूर्य मंदिर, मत्स्यगंधा मंदिर, मटेश्वर धाम (बलवाहाट में अवस्थित) मधेपुरा जिला के बी.एन.मंडल विश्विद्यालय, सिंहेश्वर स्थान (शिव का प्राचीन मंदिर) एवं सुपौल जिला के भीमनगर बैरैज, गणपतगंज विष्णु मंदिर इत्यादी है। इस प्रमंडल के तीनों जिले रेलवे नेटवर्क से जुड़े है, सड़क मार्ग एन.एच. 107 और एन.एच. 57 प्रमुख राजमार्ग है। इन प्रमंडल के निकटतम हवाई सम्पर्क के रूप में दरभंगा एयरपोर्ट है। कोशी प्रमंडल अंतर्गत सहरसा, सुपौल एंव मधेपुरा जिलों की स्थापना क्रमशः 1954, 1991 एवं 1981 ई० में हुई है। कोशी प्रमंडल के तीनों जिलों का संक्षिप्त इतिहास निम्न हैः-

(i) **सहरसाः-** इस जिले की स्थापना 01 अप्रैल 1954 ई. को हुई थी। 02 अक्टुबर 1972 ई. से यह जिला कोशी प्रमंडल का मुख्यालय है। इसके उत्तर में मधुबनी एवं सुपौल, दक्षिण में खगड़िया, पूर्व में मधेपुरा एवं पश्चिम में दरभंगा एवं समस्तीपुर जिले अवस्थित है। जिले का कुल भौगौलिक क्षेत्रफल 1,687 वर्ग कि.मी. है।सहरसा मिथिला राज्य का हिस्सा था, बाद में मिथिला मगध साम्राज्य के विस्तारवाद का शिकार हो गया। बनमनखी-फारबीसगंज रोड पर सिकलीगढ़ में एवं किशनगंज पुलिस स्टेशन के पास मौर्य स्तंभ मिलने यह बात प्रमाणित है। मगध साम्राज्य में बिम्बिसार के समय बौद्ध धर्म के राजधर्म बनने पर यहाँ भी बौद्ध प्रभाव बढ़ने लगा, जिले के बिराटपुर, बुधियागढ़ी, बुधनाघाट, पितहाही एवं मठाही जैसी जगहों पर बौद्ध चिन्ह मिले है। जब आदि शंकराचार्य भारत भ्रमण पर निकले और शास्त्रार्थ द्वारा हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना करने लगे तब उनका आगमन सहरसा जिले के महिषी ग्राम में हुआ। कहा जाता है जब आदि शंकराचार्य ने यहाँ के प्रसिद्ध विद्वान मंडल मिश्र को शास्त्रार्थ में हरा दिया तब उनकी विदुषी पत्नी भारती ने उन्हे चुनौती दी तथा शंकराचार्य को पराजित कर दिया। यहाँ कन्दाहा में सूर्य मंदिर एवं प्रसिद्ध माँ तारा स्थान, महिषी ग्राम में स्थित है। प्राचीन काल से यह जिला आदि शंकराचार्य तथा यहाँ के प्रसिद्ध विद्वान मंडन मिश्र के बीच हुए शास्त्रार्थ के लिए भी विख्यात रहा है। इस जिले के बगल में बनगांव में स्थित बाबा लक्ष्मीनाथ गोसाईं का प्रसिद्ध मंदिर है। सड़क और रेलमार्ग दोनों से यह जिला जुड़ा हुआ है। सहरसा भारतीय रेलमार्ग की बड़ी लाईन द्वारा देश की राजधानी दिल्ली एवं कोलकाता, अमृतसर, रांची जैसे बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। भारत की सबसे पहली गरीब रथ ट्रेन तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव द्वारा सहरसा से ही चलाई गई थी। इस जिले में प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाले मुख्य

गतिविधियों मेः माँ उग्रतारा महोत्सव, मत्स्यगंधा मेला, माँ काली महोत्सव इत्यादि प्रमुख है। जिले में हाल ही में दिनांक 03 अगस्त 2025 को गंगजला ढ़ाला के समीप लाईट ओवरब्रिज का उद्धघाटन जिले के वर्तमान सासंद श्री दिनेश चन्द्र यादव के द्वारा किया गया, जिससे लम्बे समय तक लगने वाले जाम से यहां के लोगों को राहत मिली हैं एवं 18 सितम्बर 2025 को बंगाली बाजार ओवरब्रिज का निर्माण कार्य भी शुरू किया गया है, जिसका निर्माण कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जायेगा, जिससे यहाँ के आमजनों को जाम से छुटकारा मिलेगा एवं आवागमन सुलभ हो जाएगा।

(ii) **सुपौलः-** इस जिले की स्थापना 14 मार्च 1991 ई. को सहरसा जिला से विभाजित कर किया गया। यह जिला पहले सहरसा जिला का एक अनुमंडल हुआ करता था। जिले का कुल भौगौलिक क्षेत्रफल 2425 वर्ग कि. मी. है। इस जिले के उत्तर में नेपाल, पूर्व में अररिया जिला, दक्षिण में मधेपुरा और सहरसा जिला तथा पश्चिम में मधुबनी जिला अवस्थित है। सुपौल जिला कोशी प्रमंडल का एक महत्वपूर्ण जिला है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जगन्नाथ मिश्र एवं भारत के मशहुर गायक एवं गायिका क्रमशः श्री उदित नारायण एवं श्रीमति शारदा सिन्हा का जन्मस्थल सुपौल जिला में अवस्थित है। सुपौल जिले में चार अनुमंडल एवं ग्यारह प्रखंड है। इस जिले का प्रमुख व्यवसाय कृषि है एवं चावल यहाँ की मुख्य फसल है। बिभा कॉपरेशन द्वारा सुपौल जिले के सिमराही बाजार में एक डेयरी फॉर्म स्थापित किया गया है, जो प्रतिदिन लगभग 1,00,000 लीटर दूध का उत्पादन करता है। मेसर्स कोशी द्वारा परसरमा-परसौनी गाँव में एक अंडा फार्म भी स्थापित किया गया है, जो प्रतिदिन लगभग 20,000 अंडे का उत्पादन करता है। यहाँ के ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों में दुर्गा स्थान, परसरमा, जो मुख्यालय से केवल 10 कि.मी. की दूरी पर अवस्थित है। दक्षिण भारतीय वास्तुकला पर आधारित और भगवान विष्णु को समर्पित विष्णु मंदिर जिले का एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में अवस्थित है, यह क्षेत्र मिथिला संस्कृति में दक्षिण भारतीय तत्व जोड़ता है। सुपौल जिला राष्ट्रीय राजमार्ग 106 और 57 के जरिए सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। एन.एच. 57 सुपौल को सिलचर, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, फोर्सगंज, गोरखपुर, लखनऊ, अहमदाबाद और पोरबंदर जैसे प्रमुख शहरों से जोड़ता है। राज्य की राजधानी पटना और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एवं अन्य प्रमुख शहरों के लिए नियमित बसें उपलब्ध है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहार वाजपेयी ने 2002 ई. में नए कोसी महासेतु पुल की आधारशिला रखी थी, जो भारी बाढ़ एवं भारत-नेपाल भूकंप में बह गया था, पुनः नए पुल का उद्धघाटन वर्ष-2020 ई. में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा किया गया, जिसे 516 करोड़ की लागत से बनाया गया। इस पुल की लंबाई 1.9 कि.मी. है। फारबिसगंज-सहरसा और राघोपुर-सरायगढ़ डेमू इस पुल को पार करनेवाली पहली ट्रेनें बनी।

(iii) **मधेपुराः-** इस जिले की स्थापना 09 मई 1981ई. को सहरसा जिले से विभाजित कर किया गया। मधेपुरा जिला बिहार के मिथिला क्षेत्र के कोसी-सीमांचल उपक्षेत्र का हिस्सा है और यहां की बोलचाल की भाषा मैथिली है। मधेपुरा मौर्य साम्राज्य का एक हिस्सा था, यह तथ्य उदाकिशुनगंज में मौर्य स्तंभ द्वारा पुष्ट होता है। ब्रिटीश राज के दौरान मधेपुरा जिले पर मुरहो एस्टेट के यादव जमींदारों का प्रभुत्व था, जो जिले के सबसे बड़े जमींदार थे। जिले के स्थापना से पहले यह 03 सितंबर 1845 से भागलपुर जिले के अंतर्गत एक उप मंडल था। 01 अप्रैल 1954 को भागलपुर जिले के तीन उप मंडलों सहरसा, मधेपुरा और सुपौल के साथ अलग करके बनाया गया था। मुंसिफ कोर्ट की स्थापना 1865 ई. में मधेपुरा में हुई थी, पहले यह किशनगंज में था। सब जज कोर्ट की स्थापना 1944 ई. में यहां की गई थी। मधेपुरा जिले का क्षेत्रफल 1788 वर्ग कि.मी. है। इस जिले के उत्तर में अररिया और सुपौल, दक्षिण में खगड़िया और भागलपुर, पूर्व में पूर्णिया और पश्चिम में सहरसा जिले अवस्थित है। जिले में दो अनुमंडल, 13 प्रखंड, 13 थाने, 170 पंचायतें और 434 राजस्व गाँव है। राज्य के पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बी.पी. मंडल का जन्म स्थल मधेपुरा जिला है। भारतीय रेलवे ने फ्रांस की कंपनी अल्सटॉम एसए के साथ संयुक्त उद्यम में मधेपुरा में एक विद्युत इंजन कारखाना स्थापित किया है। इस कराखाने को भारत का सबसे शक्तिशाली रेलवे इंजन WAG 12 बनाने का गौरव प्राप्त है। भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, जिला मुख्यालय मधेपुरा में स्थित है और इस जिले के शैक्षिक वातावरण को गौरव प्रदान कर रहा है।

कार्यालय भवन :- आयुक्त कार्यालय अम्बेडकर चौक, सहरसा स्थित संजय गाँधी जैविक उद्यान के सामने अपने निज भवन में वर्ष 1972 से संचालित है। इस भवन का रंग-रोगन संबंधी कार्य वर्ष 2024-25 में किया गया है।

कोशी प्रमंडल का प्रशासनिक व्यवस्था

जिला	अनुमंडल	प्रखंड एवं अंचल	पंचायत	राजस्व ग्राम	विधान सभा संख्या	लोक सभा संख्या
सहरसा	02	10	153	468	04	01 (नोट:सि.ब.-खगड़िया लो.स.)
मधेपुरा	02	13	170	449	04	
सुपौल	04	11	174	551	05	01
कुल :-	10	34	497	1468	13	02

आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया का पदस्थापन सूची

क्र0	नाम	कब से कब तक
1	श्री के.एम.जुबेरी, भा0प्र0से0	02.10.72 से 31.03.73
2	श्री शंकर शरण, भा0प्र0से0	01.04.73 से 22.02.74
3	श्री ईश्वरी प्रसाद, भा0प्र0से0	23.02.74 से 01.05.74
4	श्री के.एम.जुबेरी, भा0प्र0से0	02.05.74 से 19.08.75
5	श्री के. एल. स्वामी, भा0प्र0से0	20.09.75 से 11.01.76
6	श्री आर.आर. प्रसाद, भा0प्र0से0	12.01.76 से 30.07.76
7	श्री पी.एस. अप्पू, भा0प्र0से0	31.10.76 से 22.05.78
8	श्री सी.आर.वेंकट रमण, भा0प्र0से0	23.05.78 से 09.06.79
9	श्री मोहिन्द्र सिंह, भा0प्र0से0	05.09.79 से 05.12.80
10	श्री ए.वती आव, भा0प्र0से0	28.12.80 से 03.02.82 अ.
11	श्री के.के. साहा, भा0प्र0से0	03.02.82 अ. से 30.04.84 अ.
12	श्री जिया लाल आर्य, भा0प्र0से0	30.04.84 अ. से 17.05.85 अ.
13	श्री जे.एम. लिंगडोह, भा0प्र0से0	18.05.85 से 13.09.85 अ.
14	श्री पी.सी. सिंह, भा0प्र0से0	16.09.85 से 06.12.85 अ.
15	श्री ए.के. पदम, भा0प्र0से0	07.12.85 से 01.07.86
16	श्री बी.के. सिंह, भा0प्र0से0	31.07.86 से 11.12.86
17	श्री मनोज कुमार मंडल, भा0प्र0से0	01.01.87 से 06.08.88
18	श्री मदन मोहन सिंह, भा0प्र0से0	07.08.88 से 29.08.90
19	श्री अनुप मुखर्जी, भा0प्र0से0	30.08.90 से 21.10.90
20	श्री चिन्तु नायक, भा0प्र0से0	22.10.90 से 21.09.92
21	श्री बी. जयशंकर, भा0प्र0से0	26.10.92 से 08.02.93
22	श्री ए.सी. विश्वास, भा0प्र0से0	08.02.93 से 22.05.95
23	श्री ए.सी. रंजन, भा0प्र0से0	23.05.95 से 10.07.95
24	श्री ए.सी. विश्वास, भा0प्र0से0	30.07.95 से 17.09.95
25	श्री अशोक कुमार सरकार, भा0प्र0से0	18.09.95 से 29.05.96
26	श्री ए.सी. रंजन, भा0प्र0से0	30.05.96 से 31.10.96
27	श्री अशोक कुमार चौहान, भा0प्र0से0	01.11.96 से 30.06.97
28	श्री ए.सी. रंजन, भा0प्र0से0	01.07.97 से 29.09.97
29	श्री विजय प्रकाश, भा0प्र0से0	29.09.97 से 15.06.98
30	श्री आर.एस. पौददार, भा0प्र0से0	15.06.98 से 15.11.99

31	श्री यू.के. संगमा, भा0प्र0से0	15.11.99 से 26.11.2000
32	श्री सी. ललसोता, भा0प्र0से0	01.12.2000 से 16.12.2004
33	श्री टी.के. घोष, भा0प्र0से0	17.12.2004 से 30.11.2006
34	श्री आर. के घण्डेलवाल, भा0प्र0से0	08.12.2006 से 19.12.2006
35	श्री सुधीर कुमार, भा0प्र0से0 (88)	20.12.2006 से 20.03.2007
36	श्री यू. के. नंदा, भा.प्र.से.	21.03.2007 से 02.09.2008
38	श्री हेमचन्द्र सिरोही, भा.प्र.से.	02.09.2008 से 03.07.2009 अ.
39	श्री सुधीर कुमार, भा.प्र.से. (87)	03.07.2009 से 09.07.2010 पू.
40	श्री अतीश चन्द्रा, भा.प्र.से. (94)	12.07.2010 अ. से 17.12.2010
41	श्री जे.आर.के.राव, भा.प्र.से. (85)	17.12.2010 पू. से 14.02.2012
42	श्री विमलानन्द झा, भा.प्र.से.	17.02.2012 से 30.06.2013
43	श्री पंकज कुमार, भा.प्र.से.	01.07.2013 से 20.01.2014 पू.
44	श्री उपेन्द्र कुमार, भा.प्र.से. (98)	20.01.2014 अ. से 09.06.2014
45	श्री रामरूप सिंह, भा.प्र.से. (98)	10.06.2014 पू. से 31.01.2015
46	श्री सुधीर कुमार, भा0प्र0से0 (88)	01.02.2015 पू. से 13.05.2015
47	सुश्री टी.एन. बिन्धेश्वरी, भा.प्र.से. (90)	15.06.2015 पू. से 07.07.2016 पू.
48	श्री कुवरं जंग बहादुर, भा.प्र.से. (2000)	07.07.2016 अ. से 31.12.2016अ.
49	सुश्री टी.एन. बिन्धेश्वरी, भा.प्र.से. (90)	30.01.2017अ. से 28.02.2017 पू.
50	डॉ. श्रीमती सफीना ए.एन. (97)	05.04.2018अ. से 21.02.2019 पू.
51	श्री असंगबा चुबा आओ (2003)	21.02.2019पू. से 11.06.2019अ.
52	डॉ. श्रीमती सफीना ए.एन. (97)	12.06.2019पू. से 02.09.2019 अ.
53	श्री के.सेंथिल कुमार, भा.प्र.से. (96)	02.09.2019 से 17.10.2020 अ.
54	डॉ. श्रीमती सफीना ए.एन. (97)	23.10.2020 पू. से 15.12.2020पू.
55	श्री के.सेंथिल कुमार, भा.प्र.से. (96)	15.12.2020अ. से 01.01.2021 अ.
56	श्री राहुल रंजन महिवाल, भा.प्र.से. (2005)	06.01.2021पू. से 31.07.2021 पू.
57	श्री मनीष कुमार,भा.प्र.से.(2005)	02.08.2021पू. से 27.08.2021अ.
58	श्री राहुल रंजन महिवाल, भा.प्र.से. (2005)	31.08.2021पू. से 08.04.2022 पू.
59	श्री गोरखनाथ, भा.प्र.से. (2006)	03.05.2022पू. से 31.12.2022 पू.
60	श्री मनोज कुमार, भा.प्र.से. (2007)	01.01.2023पू. से 28.01.2024 अ.
61	श्रीमती नीलम चौधरी, भा.प्र.से. (2008)	29.01.2024पू. से 31.07.2024 अ.
62	श्री दिनेश कुमार, भा.प्र.से. (2007)	06.08.2024 पू. से 18.01.2025अ.
63	श्री राजेश कुमार, भा.प्र.से. (2001)	19.01.2025पू. से अबतक

<u>शाखा का संचालन :-</u> प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में कार्यो को सुचारू रूप से संपादित करने हेतु निम्न प्रशाखाएँ संचालित की जाती है :-

1. सामान्य/स्थापना/लेखा/गोपनीय प्रशाखा
2. आपूर्ति प्रशाखा/पंचायत प्रशाखा/नजारत प्रशाखा
3. विकास/राजस्व प्रशाखा
4. निर्वाचन/कल्याण प्रशाखा
5. लोक सेवा प्रशाखा एवं सूचना का अधिकार

प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल

2. स्वीकृत बल :- स्वीकृति बल एवं कार्यरत बल की स्थिति इस प्रकार है :-

	स्वीकृत बल	कार्यरत बल
1. प्रमंडलीय आयुक्त	01	01
2. आयुक्त के सचिव	01	00
3. क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी	01	00
4. संयुक्त आयुक्त विभागीय जाँच	01	00
5. उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी	01	01
6. प्रधान आप्त सचिव	01	00
7. प्रशाखा पदाधिकारी	06	02
8. सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	20	08
9. टंकक	01	00
10. सांख्यिकी विशेषज्ञ	01	00
11. आशुटंकक	01	00
13. सांख्यिकी संगणक	01	00
14. लिपिक	05	02
15. दिनचर्या लिपिक	01	00
16. चालक	01	00
17. कार्यालय परिचारी	24	11

श्री दिनेश लाल दास, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, सहरसा प्रमंडल, सहरसा आयुक्त के सचिव, कोशी प्रमंडल, सहरसा के अतिरिक्त प्रभार में हैं।

इसके अलावे 02 उच्चवर्गीय लिपिक, 02 निम्नवर्गीय लिपिक, 02 कार्यालय परिचारी प्रमंडल के अधीनस्थ जिलों से प्रतिनियुक्त हैं।

नजारत

(कार्यवाहक सहायकः-श्री शम्भू प्रसाद गुप्ता, उच्च वर्गीय लिपिक)

नजारत में एक सामान्य रोकड़ बही तथा 08 सहायक रोकड़ बही संधारित किया जाता है। दिनांक 07.11.2025 को सामान्य रोकड़ बही की विवरणी निम्नांकित है :-

क्र0	सहायक रोकड़ बही	अंतः शेष राशि
1	2053 जिला प्रशासन	25,717.83
2	2055 पुलिस	1,55,000.00
3	2029-भू राजस्व	10,000.00
4	2015 निर्वाचन	10,000.00
5	0070 लोक सूचना	शून्य
6	2055 पुलिस	शून्य
7	2052 लोक शिकायत निवारण	50484.00
8	विविध	16,69,537.34

Cash Details :-

क्र0	बैंक शाखा का नाम	खाता का प्रकार	खाता नं0	सन्निहित राशि
1	भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, सहरसा	चालू खाता	11098095169	11,04511.84
2	सामान्य अग्रिम	-	-	8,896.00
3	कैश इन हैंड	-	-	11,881.33

<u>प्राप्त पत्रों की पंजी :-</u> दिनांक 01.01.2025 से दिनांक 07.11.2025 तक कुल 9409 पत्र प्राप्त हुए हैं। (कार्यवाहक सहायकः-श्री उदय कुमार झा, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी)

<u>निर्गत पत्रों की पंजी :-</u> दिनांक 01.01.2025 से दिनांक 07.11.2025 तक कुल 7660 पत्र निर्गत किये गये हैं। (कार्यवाहक सहायकः-श्री दिलीप चन्द्र पासवान, उच्च वर्गीय लिपिक)

अनुक्रमणिका पंजी :- संधारित है।

उपस्थिति पंजी :- संधारित है।

आकस्मिक अवकाश पंजी :- संधारित एवं सत्यापित है।

सेवापुस्त :- कर्मियों का सेवापुस्त संधारित एवं अद्यतन है।

कर्म पुस्तिका (Log Book) :- सभी कर्मियों यथा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं लिपिकों का अलग-अलग कर्म पुस्तिका संधारित है। इसका जाँच निरंतर अवधि में प्रशाखा पदाधिकारी एवं अन्य वरीय पदाधिकारियों द्वारा की जाती है।

<u>पटलवार निष्पादित कार्यों की स्थिति निम्नवत पाई गईः-</u>

<u>मंत्रीमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग/राजस्व परिवादः-</u>

कार्यवाहक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का नाम :- सुश्री मधु गुप्ता

लॉगबुक के अनुसार, दिनांक-01.04.2025 से 07.11.2025 तक की स्थितिः-

- कुल प्राप्त पत्र-184
- कुल निष्पादित पत्र-181 (सूचनार्थ पत्रों सहित)
- लंबित-03

क्र0 सं0	हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा हेतु प्राप्त कुल आवेदन	रद्द किये गए कुल आवेदन	राजपत्रित आवेदन	अराजपत्रित आवेदन
01	307	95	18	194

➢ मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (राजभाषा) हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा दिनांक-12.10.2025 को निर्धारित था। (परीक्षा के संशोधित तिथि-07.12.2025) जिस हेतु सभी आवेदक से परीक्षा फार्म जमा लिया गया है।

→ राजभाषा द्वारा महत्वपूर्ण अभिलेख/पत्र पर की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति-

➢ महालेखाकार, ले.एवं हक, का कार्यालय पत्रांक-356 दिनांक 18.07.2025 एवं मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा, बिहार, पटना का पत्रांक-815 दिनांक 11.09.2025 एवं पत्रांक-906 दिनांक 08.10.2025 द्वारा मो. ईकबाल अहमद, अनिवार्य सेवानिवृत्त अनुदेशक आशुलेखन का सेवान्त लाभ यथाः ग्रुप बीमा/भविष्य निधि/उपादान की राशि कार्यालय पत्रांक-43/सपत्र दिनांक 15.10.2025 द्वारा भूगतित की जा चूकी है एवं पेंशन निर्धारण हेतु पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना को प्रेषित किया जा चूका है।

➢ पटल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पत्रों का संकलन रक्षी संचिका में किया जाता है।

सामान्य शाखा/प्रेस कतरण/जनता दरबारः-

कार्यवाहक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का नामः-श्री अजय कुमार मंटु

लॉगबुक के अनुसार, दिनांक-01.04.2025 से 07.11.2025 तक की स्थितिः-

- कुल प्राप्त पत्र-1070
- कुल निष्पादित पत्र-1060 (सूचनार्थ पत्रों सहित)
- लंबित-10 (प्रक्रियाधीन)

→ सामान्य शाखा से संबंधित महत्वपूर्ण अभिलेख/पत्र पर की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति-

1. विभिन्न पूजा-पाठ में विधि-व्यवस्था से संबंधित बैठक हेतु Agenda तैयार किया जाता है।
2. आम जनता द्वारा समर्पित सभी आवेदन संचिका में प्रक्रियाधीन है।
3. पटल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पत्रों का संकलन रक्षी संचिका में किया जाता है।

चतुर्थ वर्गीय स्थापना/सूचना का अधिकारः-

कार्यवाहक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का नाम :- श्री गौरव कुमार

लॉगबुक के अनुसार, दिनांक-01.04.2025 से 07.11.2025 तक की स्थितिः-

- कुल प्राप्त पत्र-147
- कुल निष्पादित पत्र-144 (सूचनार्थ पत्रों सहित)
- लंबित-03 (प्रक्रियाधीन)

→ चतुर्थवर्गीय स्थापना द्वारा महत्वपूर्ण अभिलेख/पत्र पर की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति-

- ➢ श्री चन्द्रदेव महतो, परिचारी, आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा की वार्धक्य सेवानिवृत्ति दिनांक 31.10.2025 को होने के फलस्वरूप कार्यालय आदेश ज्ञापांक-8362 दिनांक 01.11.2025/ ज्ञापांक-8331 दिनांक 01.11.2025/ज्ञापांक-8332 दिनांक 01.11.2025/ ज्ञापांक-8333 दिनांक 01.11.2025 द्वारा इन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त मिलने वाले सभी सेवान्त लाभों यथाः उपादान की राशि/ अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि/नई ग्रुप बीमा योजना में संचित राशि एवं नई पेंशन योजना में जमा राशि का भुगतान किया जा चूका है एवं महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को इनका सेवापुस्त अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजे जाने से संबंधित कार्य प्रक्रियाधीन है।
- ➢ सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार निस्तार करते हुए आवेदकों को सूचना ससमय उपलब्ध कराई जाती है।
- ➢ पटल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पत्रों का संकलन रक्षी संचिका में किया जाता है।

आयुक्त न्यायालय से संबंधित कार्य

कार्यवाहक (सहायक प्रशाखा पदाधिकारी) :- श्री आशुतोष झा

लॉगबुक के अनुसार, दिनांक-01.04.2025 से 07.11.2025 तक की स्थितिः-

- कुल वादों की संख्याः- 599
- वित्तीय वर्ष-2025-26 में प्राप्त कुल वादों की संख्या-143
- वित्तीय वर्ष-2025-26 में निष्पादित कुल वादों की संख्या-102
- कुल लंबित वादों की संख्या-497 (प्रक्रियाधीन)
- आयुक्त न्यायालय में निम्न वादों का निष्पादन किया जाता है :-
  1. L.D. Appeal
  2. Service Appeal
  3. Arbitration

4. Jamabandi Cancellation Revision
5. Supply Revision/Appeal
6. Aanganbadi Revision
7. CCA Appeal
8. Arms Appeal

- माननीय न्यायालय से प्राप्त सभी सी0डब्लू0जे0सी0 संबंधी पत्रों का कार्यालय स्तर से कार्रवाई की जाती है।

मुख्यालय स्थापना/लेखा शाखा/ विपत्र/HRMS/CFMS:-

कार्यवाहक लिपिक का नाम :- श्री अंकित आनन्द

लॉगबुक के अनुसार, दिनांक-01.04.2025 से 07.11.2025 तक की स्थिति:-

- कुल प्राप्त पत्र-180
- कुल निष्पादित पत्र-178
- लंबित-02 (प्रक्रियाधीन)

→ मुख्यालय स्थापना एवं लेखा शाखा द्वारा महत्वपूर्ण अभिलेख/पत्र पर की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति-

1. पदस्थापित सभी पदाधिकारियों/कर्मियों के सेवापुस्त को अद्यतन संधारित किया जाता है।
2. पदस्थापित सभी पदाधिकारियों/कर्मियों के वेतन/बकाया/सेवान्त लाभों के भुगतान से संबंधित आदेश प्राप्त होने भुगतान नियमानुसार ससमय किया जाता है।
3. संविदा के आधार पर नियोजन/जिलों से प्राप्त अनुशंसाओं के आधार पर अवधि विस्तार हेतु कुल-03 प्रस्ताव प्राप्त हुए है, जो वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।
4. लेखा शाखा अन्तर्गत पूर्व से टी.डी.एस. पूर्णियाँ द्वारा लेट फाईन/शॉर्ट फाईन में सक्षम प्राधिकार से अनुमति लिये बिना डायरेक्ट डिमान्ड ड्राफ्ट बनवाकर राशि हस्तानान्तरित करने संबंधी एक मामले में इनकम टैक्स में अपील किये जाने हेतु अधिवक्ता के निर्धारित दर उपलब्ध कराने हेतु कोशी एवं पूर्णियाँ प्रमंडल अन्तर्गत जिलाधिकारियों से अनुरोध किया गया है।
5. श्री दिलीप चन्द्र पासवान, तत्कालीन निम्न वर्गीय लिपिक सम्प्रति उच्च वर्गीय लिपिक के पिछले 07 वर्षो से बकाया वेतन का भुगतान नियमानुसार किया जा चूका है, श्री पासवान, उच्च वर्गीय लिपिक के वेतन निर्धारण से संबंधित संचिका वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। साथ ही श्री दुर्गेश राउत, तत्कालीन परिचारी सम्प्रति निम्न वर्गीय लिपिक का वेतन निर्धारण नियमानुसार किया जा चूका है।श्री उदय कुमार झा, तत्कालीन उच्च वर्गीय लिपिक सम्प्रति सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के उच्चतर कार्यकारी प्रभार उसके विहित वेतनमान में विभाग द्वारा दिए जाने के फलस्वरूप वेतन के निर्धारण हेतु संचिका नियमानुसार प्रक्रियाधीन है।
6. पटल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पत्रों का संकलन रक्षी संचिका में किया जाता है।

प्रमंडलीय लोक शिकायत निवारण कोषांग:-

कार्यवाहक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का नाम :- श्री मानस कुमार रॉय

➢ बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 की धारा 7(1) के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकार प्रमंडलीय आयुक्त होते है। इस वर्ष दिनांक 01.01.2025 से 07.11.2025 तक बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 की धारा 7(1) के तहत कुल 314 आवेदकों के अपील आवेदन प्राप्त हुए है। जिसकी विवरणी निम्नवत है :-

क्र0	तिथि	प्राप्त अपील आवेदन	निष्पादित अपील आवेदन	लंबित अपील आवेदन	अभ्युक्ति
01	01.01.2025 से 07.11.2025	314	274	40	सभी लंबित 40 अपील आवेदन प्रक्रियाधीन है।

➢ वर्तमान में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 की धारा 7(1) के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकार द्वारा दिये गये Type-II Conditional Order की सारी संचिकाओं को संचिकाबद्ध किया जा रहा है।

➢ आम जनता द्वारा समर्पित सभी आवेदन संचिका में प्रक्रियाधीन है।

➢ लोक शिकायत से संबंधित सुनवाई हर सप्ताह आयोजित की जाती है।

<u>राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/विकास शाखाः</u>

कार्यवाहक सहायक प्रशाखा पदाधिकारीः-श्री मानस कुमार रॉय

लॉगबुक के अनुसार, दिनांक-01.04.2025 से 07.11.2025 तक की स्थितिः-

- कुल प्राप्त पत्र-231
- कुल निष्पादित पत्र-205 (सूचनार्थ पत्रों सहित)
- प्रक्रियाधीन-26(प्रक्रियाधीन)

➢ कुल-42 मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास से संबंधित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृत्ति दी गई।

➢ पटल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पत्रों का संकलन रक्षी संचिका में किया जाता है।

<u>राजपत्रित स्थापना/विभागीय कार्यवाही :-</u>

कार्यवाहक (सहायक प्रशाखा पदाधिकारी) :- श्री आलोक कुमार

लॉगबुक के अनुसार, दिनांक-01.04.2025 से 07.11.2025 तक की स्थितिः-

- कुल प्राप्त पत्र-340
- कुल निष्पादित पत्र-310
- लंबित-30 प्रक्रियाधीन

<u>विभागीय कार्यवाही :-</u>

➢ प्रमंडल अन्तर्गत कुल तीन विभागीय कार्यवाही को निष्पादित किया गया।

➢ सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के विरूद्ध प्राप्त कुल -02 परिवाद पत्र को निष्पादित किया गया।

➢ सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से जिला पदाधिकारी, सहरसा के विरूद्ध प्राप्त कुल -02 परिवाद पत्र वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

<u>राजपत्रित स्थापना :-</u>

- राजपत्रित स्थापना से संबंधित पत्र जैसे जिला पदाधिकारी, बंदोबस्त पदाधिकारी, लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, के आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति एवं जिला पदाधिकारी के अग्रिम मासिक भ्रमण एवं अन्य मामले के ससमय निष्पादन किया जाता है।

<u>विधि शाखा (पत्राचार)/क्षेत्रीय स्थापना/रोस्टर</u>

कार्यवाहक लिपिक का नाम :- श्री सुभाष कुमार सिंह

लॉगबुक के अनुसार, दिनांक-01.04.2025 से 07.11.2025 तक की स्थितिः-

प्राप्त पत्रों की संख्या	निष्पादित पत्रों की संख्या	लंबित/प्रक्रियाधीन पत्रों की संख्या
195	186 (सूचनार्थ पत्रों सहित)	09

➢ जिलों से प्राप्त रोस्टर को नियमानुसार अनुमोदित किया जाता है, वर्तमान में कुल-02 रोस्टर पंजी अनुमोदन हेतु प्राप्त हुए है, जो प्रक्रियाधीन है।

➢ विधि शाखा के पत्राचार से संबंधित कार्य को नियमानुसार किया जाता है।

➢ क्षेत्रीय स्थापना से संबंधित सम्पूर्ण प्रभार श्री आशुतोष झा, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को सौंपा जा चूका है। वर्तमान में 02 लंबित परिवाद पत्र प्रक्रियाधीन है।

➢ पटल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पत्रों का संकलन रक्षी संचिका में किया जाता है।

निर्वाचन शाखा/राजस्व पर्षद/कल्याण शाखा :-

कार्यवाहक लिपिक का नाम :- श्री नवीन कुमार

प्राप्त पंजी के अनुसार, दिनांक-01.04.2025 से 07.11.2025 तक की स्थितिः-

- कुल प्राप्त पत्र-213
- कुल निष्पादित पत्र-210 (सूचनार्थ पत्रों सहित)
- लंबित-03

➢ बिहार विधानसभा आम निर्वाचन-2025 से संबंधित सभी कार्य किया जा रहा है।

➢ पंचायत/पैक्स/नगर निकाय चुनाव से संबंधित सभी कार्य किया जा रहा है।

➢ पटल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पत्रों का संकलन रक्षी संचिका में किया जाता है।

टिप्पणी :-

1. निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि कार्यालय के पंजियों के रख-रखाव, अभिलेखों के संधारण, संचिकाओं के निष्पादन, प्राप्त पत्रों पर अंतिम कार्रवाई समुचित ढ़ंग से किये जाने हेतु लगातार अनुश्रवण की आवश्यकता है। प्रशाखा पदाधिकारी एवं आयुक्त के सचिव लगातार अनुश्रवण कर कार्यालय की कार्य संस्कृति में सम्यक सुधार करेंगे।

2. संचिका के उपस्थापन के संबंध में निदेश दिया जाता है कि रोस्टर पंजी/अभिलेख आदि की स्वीकृति संबंधी कार्यालय टिप्पणी के प्रस्ताव में **''रोस्टर पंजी/ अभिलेख जाँचोपरांत सही पाया गया''** अवश्य अंकित हो, यह सुनिश्चित किया जाय। इसी प्रकार, विभिन्न प्रकार प्राक्कलनों की स्वीकृति से संबंधित कार्यालय टिप्पणी के प्रस्ताव में **''गणना जाँचोपरांत सही पाया गया''** अवश्य अंकित होना चाहिए।

3. सभी प्रशाखा में गार्ड फाईल विधिवत संधारण सुनिश्चित किया जाय। गार्ड फाईल में सभी अद्यतन प्रावधान एवं नियमावली का संधारण किया जाय। सभी प्रशाखा पदाधिकारी समय-समय पर गार्ड फाईल की जाँच करेंगे।

4. सभी प्रशाखा पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि एक माह से अधिक समय के लंबित पत्रों अथवा संचिका का प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

5. कार्यालय कर्मियों के अनुमान्य वेतन आदि लंबित एवं सेवानिवृत्त कर्मियों के सेवान्त लाभ पर विशेष ध्यान रखा जाय। इसमें किसी प्रकार का अनावश्यक विलंब न किया जाय।

6. एम0जे0सी0 तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के अनुपालन की साप्ताहिक समीक्षा आयुक्त के सचिव के स्तर से की जाय। यह पाया जा रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के स्तर से पारित आदेशों के आलोक में आयुक्त न्यायालय में कई वाद लंबे अवधि से लंबित है। यह प्रशाखा पदाधिकारी, विधि शाखा एवं पेशकार की व्यक्तिगत जवाबदेही है कि ऐसे मामलों में Short date दिया जाय तथा नोटिस का तामिला कराकर विपक्षी की उपस्थिति/जवाब प्राप्त कर सुनवाई हेतु ऐसे वादों को Cause List में सबसे उपर सूचीबद्ध किया जाय। प्रशाखा पदाधिकारी, विधि शाखा को आदेश दिया जाता है कि सभी लंबित मामलों की सूची विहित प्रपत्र में अद्यतन कार्रवाई प्रतिवेदन के साथ प्रत्येक सोमवार को 11:00 बजे पूर्वाहन में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करेंगे।

7. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के आदेश के आलोक में स्वच्छ बिहार पोर्टल पर कार्यालय में साफ-सफाई एवं अभिलेखों से संबंधित रख-रखाव हेतु कार्रवाई में अभी तक कतिपय कमियाँ है। विगत कार्यालय के निरीक्षण के आलोक में रद्दीकरण योग्य सामग्रियों की नीलामी अभी तक नहीं हो सकी है। जो खेद जनक है। अतः अभियान चलाकर कार्यालय की साफ-सफाई सुनिश्चित कराते हुए फोटो स्वच्छ बिहार पोर्टल पर इस माह के अंत तक अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

8. कार्यालय आदेश ज्ञापांक-8122, दिनांक-24.10.2025 द्वारा Type-II Conditional Order [जिसमें लोक प्राधिकार के स्तर से निर्धारित समय सीमा में अनुपालन किया जाना है] की सूची तैयार करने

का निदेश दिया गया है। इस संबंध में पूरी सूची तैयार कर लोक प्राधिकार को अनुपालन हेतु पत्र भेजा जाय। इसकी समीक्षा 15 दिनों के अंदर अधोहस्ताक्षरी के स्तर से की जायेगी।

9. समीक्षा में यह पाया जा रहा है कि लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के स्तर से गंभीरता पूर्व कार्य नहीं किया जा रहा है। परिवाद के बिन्दुओं को लोक प्राधिकार के माध्यम से विधिसम्मत अनुपालन कराने के बजाए अनावश्यक कारण अंकित करते हुए निस्तार किया जाता है। जिसके कारण अपील आवेदनों की संख्या बढती है। इसके अतिरिक्त विगत समीक्षा में यह पाया गया की संबंधित PGRO के स्तर से निर्गत Type-II Conditional Order के समयवद्ध निस्तार के प्रति उनका कोई ध्यान नहीं रहता है। अतः प्रमंडलीय स्तर पर मासिक समीक्षा बैठक की व्यवस्था की जाए। तथा अगले छः माह का रोस्टर तैयार का सभी पदाधिकारियों को बैठक के समय/तिथि की सूचना दी जाए। प्रशाखा पदाधिकारी, लोक शिकायत निवारण इसके नोडल होंगे।

10. प्रमंडलीय स्तर पर मासिक समन्वय, विकास, राजस्व एवं विधि-व्यवस्था की बैठक प्रत्येक माह को 1-10 तारीख के बीच का रोस्टर अगले 6 माह के लिए तैयार किया जाए। इसके अलावे प्रत्येक माह प्रमंडल स्तरीय सभी विभागीय पदाधिकारियों की भी बैठक की जाए। आयुक्त के सचिव इसके नोडल होंगे।

11. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1637(9)/रा0, दिनांक-03.06.2025 के आलोक में सभी अप्रैल एवं अक्टूबर श्रेणी के सैरात की बंदोबस्ती नियत तिथि के एक माह पूर्व सक्षम प्राधिकार के स्तर से स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई जिला समाहर्त्ता द्वारा सुनिश्चित किया जाना है। एवं इसका सतत पर्यवेक्षण प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा किया जाना है। अतः ऐसे सभी मामलों की संचिका नियत तिथि के दो माह पूर्व संबंधित समाहर्त्ता को ससयम कार्रवाई के आदेश के साथ अविलम्ब उपस्थापित की जाए।

12. प्रमंडलीय कार्यालय स्तर पर अधिसंख्या में परिवाद प्राप्त होते हैं। प्राप्त परिवाद पर आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों को पत्र भेजा जाता है। किन्तु प्रमंडलीय कार्यालय में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे समयवद्ध रूप से परिवाद का विधिसम्मत निस्तर सुनिश्चित किया जाए। यह पाया जाता है कि संचिका मात्र नये परिवाद तथा स्मार परिवाद प्राप्त होने पर उपस्थापित की जाती है। पुराने परिवादों पर क्या कार्रवाई हुई इस संबंध में कभी-कभार ही संचिका उपस्थापित की जाती है। यह संबंधित पटल के प्रभारी लिपिक/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की जिम्मेवारी है कि विभिन्न पदाधिकारी-वार प्राप्त मामलों में समय-समय पर स्मार दें। तथा तत्काल 06 माह से अधिक लंबित मामलों को संकलित करते हुए संबंधित समाहर्त्ता/पुलिस अधीक्षक/अन्य पदाधिकारी को पत्र भेजें। तथा इसकी समीक्षा आयुक्त के सचिव के स्तर से प्रतिमाह की जाए।

13. साथ ही सभी पटल के प्रभारी लिपिक/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी तथा प्रशाखा पदाधिकारी महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील मामलों के परिवाद को अलग से संचिका में एक सप्ताह के अन्दर उपस्थापित करें।

14. अधोहस्ताक्षरी के स्तर पर विभिन्न विषयों पर समय-समय पर समीक्षा बैठक आयोजित की गयी है। उक्त समीक्षा बैठक की कार्यवाही निर्गत होने के उपरांत संबंधित कार्रवाई का अनुपालन की स्थिति से संबंधित संचिका नियमित रूप से उपस्थापित नहीं किया जाता है। सभी प्रशाखा पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि ऐसे सभी मामलों में 15 दिनों के अंदर अनुपालन/कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

15. राजस्व पर्षद के स्तर से नीलाम पत्र वाद एवं राजस्व न्यायालय के कार्यो की समीक्षा समय-समय पर की जाती है। समाहर्त्ता एवं राजस्व पदाधिकारी के स्तर से नीलाम पत्र वादों/राजस्व वादों के समयबद्ध निस्तार तथा निलाम पत्र वादों में राशि की वसूली की कार्रवाई में प्रगति लाया जाना है।. तथा पुलिस अधीक्षक के स्तर पर नीलाम पत्र वाद से संबंधित BW/DW का त्वरित निष्पादन किया जाना है। इस मामले में राजस्व पर्षद काफी गंभीर हैं। राजस्व पर्षद के स्तर से समय-समय पर आवश्यक निदेश प्राप्त

होते रहते हैं। किन्तु ऐसा पाया जाता है कि कार्यालय के स्तर पर इस मामले में आवश्यक गंभीरता का अभाव पाया जाता है। अतः प्रशाखा पदाधिकारी, राजस्व को निदेश दिया जाता है कि इस मामले में साप्ताहिक रूप से प्रगति की समीक्षा की जाय तथा कोताही बरतने वाले पदाधिकारियों को चिन्हित करते हुए अलग से पत्र भेजने हेतु प्रेत्यक सोमवार को संचिका उपस्थापित की जाए।

16. प्रमंडलीय कार्यालय स्तर पर जिन कार्यालयों के पास स्टोर रूम उपलब्ध है के कार्यालय प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि स्टोर रूम में रखी सामग्रियों की सूची बनाकर जल्द से जल्द उन सामग्रियों की नीलामी करना सुनिश्चित किया जाय अथवा उन सामग्रियों को अन्य कार्यालय में दिनांक 28.11.2025 तक हस्तानान्तरित किया जाय, तथा स्टोर रूम को खाली किया जाय।

17. प्रमंडलीय कार्यालय के स्तर पर सभी जिलों के मुख्य समाचार पत्र के प्रेस कतरन को डाक में देने की व्यवस्था लागू कर ली गयी है। इसमें प्रमुख खबरों को चिन्हित करते हुए संचिका में उपस्थापित करने की व्यवस्था लागू की जाय। तथा जिन मामलों में पूर्व में कार्रवाई का निदेश दिया गया है ऐसे सभी मामलों की संचिका 15 दिनों के अन्दर उपस्थापित की जाय। इसके नोडल आयुक्त के सचिव होंगे।

ह0/-
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापांक-8636/ सहरसा, दिनांक-15-11-2025

प्रतिलिपिः- सभी लिपिक/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- आयुक्त के सचिव/उप निदेशक, पंचायती राज/उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, कोशी प्रमंडल, सहरसा/उप निदेशक, कल्याण/सभी प्रमंडल स्तरीय पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिलाधिकारी, सहरसा/सुपौल/मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Raje K.
15/11/2025
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।